

22.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कनेछनकलां में पेश हुई। वादीगण स्वयं ने शिविर में उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए, इसी आशय का एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादपत्र वादी को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

